



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1023]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939

No. 1023]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSHA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

सं. 94/2017-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 1579(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क, अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 69/2011-सीमा शुल्क, तारीख 29 जुलाई, 2011, सा.का.नि. 593(अ), तारीख 29 जुलाई, 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सख्या 746 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 6.88” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/199/2009-टीआरयू]

रुचि विष्ट, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 69/2011-सीमा शुल्क, तारीख 29 जुलाई, 2011 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 593(अ), तारीख 29 जुलाई, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 11/2017-सीमा शुल्क, 31 मार्च, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 320(अ), तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2017

No. 94/ 2017-Customs

G.S.R. 1579(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 69/2011-Customs, dated the 29th July, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 593(E), dated the 29th July, 2011, namely :—

In the said notification, in S. No. 746, for the entry in column (4), the entry “6.88”, shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2018.

[F. No. 354/199/2009-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No. 69/2011-Customs, dated the 29th July, 2011, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 593(E), dated the 29th July, 2011 and was last amended *vide* notification No. 11/2017–Customs dated the 31st March, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 320(E), dated the 31st March, 2017.